30 9/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थी सं0 2 के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहने का कथन वकील प्रार्थी ने किया। अप्रार्थी 1, 3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि हमारी उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम पीथमपुरी स्थित खसरा नंबर 1621 रकबा 0.44 व खसरा नं0 1622 रकबा 0.11 हैक्टे. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पक्षकारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा0 पत्र0 120/2021
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी स्थित खसरा नंबर 1621 रकबा 0.44 व खसरा नं0 1622 रकबा 0.11 हैक्टे. की प्रार्थी व पक्षकारान को सूचित कर सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2019 की पक्षकारान की उपस्थिति में पुष्टि व संतुष्टि कर मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2019 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)